भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1218
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

दिशा विधेयक

†1218. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संशोधित भागों सहित "आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक-आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019" पर आंध्र प्रदेश की सहमति की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक - आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 भारत के माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ और स्वीकृति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। प्रथा के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यों से प्राप्त विधेयकों पर नोडल मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से कार्रवाई की जाती है। सभी नोडल मंत्रालयों/विभागों के विचार/टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं। महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय की टिप्पणियों को आगे स्पष्टीकरण के लिए दिनांक 31.05.2022 को राज्य सरकार के साथ साझा किया गया था। दिनांक 14.07.2022 को आंध्र प्रदेश सरकार और नोडल मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी। महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्य सरकार की टिप्पणियाँ प्रतीक्षित है।

* * * * *